संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि श्री नन्दलाल पिता श्री राधेश्याम वगैरह ने एक अपील विरूद्ध श्री खेमराज पिता श्री भगवालाल वगैरह पेश की गई जिसमे स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 13/2018 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20/03/2018 के सम्बन्ध मे स्थगन चाहा गया। इस प्रकरण मे पूर्व मे ही श्री किशनलाल द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 ए सीपीसी दिनांक 23/03/2018 को प्रस्तुत की हुई है।

स्टे प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। अपील का मुख्य सार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट द्वारा कई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई के समय अपीलान्ट ने फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05/02/2018 को अपास्त किया जाकर पत्रावली संख्या 13/18 को मूल पत्रावली क्रमांक 133/15 के साथ संलग्न कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये। स्टे प्रार्थना पत्र अपीलान्ट का जवाब केवियेटर द्वारा दिनांक 10/04/18 को पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब मे मुख्यरूप से कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश वापस लेते हुए दों तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये जिसमे आगामी तारीख पेशी 10/04/18 है उक्त आदेश जारी करने मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही हुई है। जिसके स्थगन प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई है एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20/03/2018 को आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत अपर्याप्त तामील मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही पायी जाती है। यहां तक की अधीनस्थ न्यायालय मे दोनो पक्षो को सुनने का मौका उपलब्ध कराया है जो नैसर्गिक न्याय के अनुकुल है। उभयपक्ष

अधीनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण को बेहतर तरीके से निर्णित कराने मे कायम हो सकेगे। दोनो पक्ष को सुना जाकर निर्णय पारित किया जाना हमेशा न्यायहित मे रहता है तथा दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य निर्णय करने मे सहयोगी साबित होते है। ऐसी सूरत मे जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई करने के आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी भी निर्धारित कर दी गयी है। ऐसी सूरत मे यह बेहतर रहेगा कि दोनो पक्ष बजाय अपील मे कन्टेस्ट करने, अधीनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष बेहतर तरीके से प्रस्तुत करे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज करना/अस्वीकार करना उचित पाते है। फलतः अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र एडमिशन स्टेज पर ही खारीज की जाती है। निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्र सिंह राव)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ़